[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) मे प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

*****

अधिसूचना संख्या 80/2017-सीमा शुल्क (गै. टे.)

नई दिल्ली, 17 अगस्त,2017

का॰ आ॰ (अ)॰- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 47 की उपधारा (2) के पहले परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 83/2012-सीमाशुल्क (गै॰ टे॰) दिनांक 17 सितंबर, 2012, जिसे का॰ आ॰ 2186 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) मे प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गयी बातों अथवा करने के लोप की गयी बातों को छोड़कर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा कारण जनहित मे आवश्यक है, एतदद्वारा आयतकर्ताओं के उस वर्ग को विनिर्दिष्ट करता है जो सीमाशुल्क का भुगतान इलेक्ट्रोनिक तरीके से करेंगे:-

(i) प्राधिक्रत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीक्रत आयातकर्ता: और

(ii) आयातकर्ता जो प्रतिआगम पत्र 10 हजार रुपये या इससे अधिक का सीमाशुल्क का भुगतान करेंगे।

2॰ यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा। सं॰ 450/117/2017-सीमाशुल्क IV]

ज़ेबैर रियाज

(ज़ेड॰ आर॰ कामिली)

निदेशक (सीमाशुल्क)